

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को मान्यता देने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

ग्रा0पं0- झदनपुर

वि0ख0- जानपुर

जनपद- अदोही

ग्राम पंचायत में दिनांक...02/06/2023...को ग्राम पंचायत की एक बैठक आहूत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया-

1- ग्राम पंचायत की एक बैठक ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया और उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में चयनित किया गया है-

| क्रम | सदस्य का नाम | वर्गीकरण (महिला / अनु0जा0 / जनजाति / पिछड़ा वर्ग / गरीबी रेखा के नीचे / भूमिहीन) | पदनाम (अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष / सदस्य) | सम्पर्क सूत्र मोबाईल न0 |
|------|-------------------------------|--|---|-------------------------|
| 1 | श्रीमती अंजना देवी | O.B.C. | 42 अध्यक्ष | 6306091295 |
| 2 | श्री अशोक कुमार | O.B.C. | 43 सचिव | 6392149915 |
| 3 | श्री सुश्री चन्द यादव | O.B.C. | 36 कोषाध्यक्ष | 8400989091 |
| 4 | श्री प्रवीण कुमार विन्द | O.B.C. | 31 सामान्य सदस्य | 9905954402 |
| 5 | श्री प्रमोद कुमार विन्द | O.B.C. | 46 सामान्य सदस्य | 6388191773 |
| 6 | श्रीमती गौरी देवी- शमाशंकर | O.B.C. | 40 सामान्य सदस्य | 6392945234 |
| 7 | श्री अनिसा विनायक कुमार | O.B.C. | 29 सामान्य सदस्य | 9936127132 |
| 8 | " " सारिता देवी / शक्ति कुमार | O.B.C. | 40 सामान्य सदस्य | 8853910745 |
| 9 | " " निमला देवी / कैलास | O.B.C. | 48 सामान्य सदस्य | 9398392778 |
| 10 | " " अनीता देवी / कैलास | S.C. | 48 सामान्य सदस्य | 6394519426 |
| 11 | श्री आशा / शिवराम | O.B.C. | 19 सामान्य सदस्य | 8423495228 |
| 12 | श्री रतनेश / बालेश्वर | O.B.C. | 32 सामान्य सदस्य | 9621760196 |
| 13 | " सभाजित / सुरेश कुमार | O.B.C. | 24 सामान्य सदस्य | 9170481956 |
| 14 | " मरुखन / कुवेर | S.C. | 42 सामान्य सदस्य | 8840289750 |
| 15 | श्रीमती सुभाषी / राजकुमार | S.C. | 32 सामान्य सदस्य | 6388151835 |

2- पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग / पंचायती राज विभाग / राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन ईकाई स्तर पर समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

3- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वित कर सकें।

4- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित योजनाओं / सेवाओं हेतु रख-रखाव / उपयोग राशि निर्धारित करें एवं भुगतान प्राप्त करें और भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में उचित कार्यवाही करें।

अंजना देवी

